

22.1.18

वकील उभय पक्ष उपरोक्त उभय पक्ष ने
बदस को दिनांक 15/1/18 पेश किया। पत्रावली के
दिनांक 23.4.18 को पेश हो।

3.4.18

वकील उभयपक्ष अपने वकील रेस्पोने के
बदस हेतु समय मांगा। अपील को
जापत्ति नहीं, वास्ते बदस दिनांक 10/5/18
को पेश हो।

10.5.18.

वकीलों द्वारा कार्य स्थगित रहा। पत्रावली के
बदस दिनांक 20.6.18 को पेश हो।

20.6.18.

वकील उभय पक्ष उप०। उभय पक्ष की सहमति
से पत्रावली के बदस दिनांक 01.8.18 को पेश
हो।

12.7.18.

अपीलान्ट सुनीता ने जरिये अधिवक्ता श्री दुली-चंद
शर्मा, प्रा०पत्र वास्ते नजदीकी रा० पेशी एवं उपरवह
अधिकारी रूपवास के आदेश दि० 21.5.18 की प्रतिलिपि संलग्न
कर अपील को इसी स्तर पर रजिस्ट्रिज किये जाने का
निवेदन किया। रेस्पो० अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं।

इस दिनांक
आपत्ति
नहीं

हमने प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का
अवलोकन किया अधिनस्थ न्याया० उपरवह अधिकारी
रूपवास के अपीलधीन आ० दि० 8.3.17 के विरुद्ध
इस न्याया० में प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 225 के तहत
अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि अधिनस्थ न्याया०
में भूल वाद सँ० 42/15 उनवानी सुनीता व/स मोहन का
निस्तारण दि० 21.5.18 को हो चुका है। अतः इस
अपील को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
लिहाजा अपील अपी० मुताबिक प्रा०पत्र इसी स्तर पर
रजिस्ट्रिज की जाये। पत्रावली फैसल शुभार होकर
नम्बर से कम की जाये। बाद आपत्ता कार्यालय दफ्तर हो।

L.C.P.
S.D.O.
को पत्र

भू प्रबन्ध अधिकारी
दिनांक